आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 36/13–14
उमेश विश्वकर्मा वनाम् अरविन्द शर्मा एवं अन्य
आदेश

17.03.14 आवेदक उमेश विश्वकर्मा पिता स्व० लाल बाबू विश्वकर्मा ग्राम वो थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा करपी थाना करपी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
437	1373	1.26 डी०	उ० – रामविनय सिंह वगैरह द० – निज पू० – विपक्षीगण,अरविन्द सिंह प० – वलीराम महतो वगैरह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण को सर्वप्रथम डाक से नोटिस भेजा गया। पुनः अनुसेवी के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई। सिर्फ विपक्षी संख्या 04 रामजीत सिंह उपस्थित हुए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक के दादा राजदेव बड़ही वगैरह को तत्कालीन जमींदार से बंदोबस्त है जिसका रिटर्न आवेदक के दादा राजदेव बड़ही वो रामचद्र बडही वो नरसिंह बड़ही वल्द झॉरी बड़ही के नाम से है और राजस्व रसीद भी निर्गत है।

(2) विवादित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है।

(3) विपक्षीगण जब आवेदक की भूमि में बढकर अतिक्रमण कर रहे थे तो आवेदक द्वारा अंचल से नापी (नापी वाद संख्या 19/12–13) कराया गया जिसमें अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि अरविन्द सिंह वगैरह के द्वारा $4\frac{1}{4}$ डी० भूमि को अतिक्रमित किया गया है तथा ईट का दीवार बना लिया गया है।

(4) बहस के क्रम में विपक्षीगण द्वारा यह स्वीकार भी किया गया है कि उसका प्लॉट

1372 अलग हैं। परन्तु वह किस हैसियत से प्रार्थी के प्लॉट 373 में घूसा है ना हीं तो बता सके और ना हीं कोई कागजात दिखा सकें। उल्लेखनीय है कि प्लॉट नं० 1372 खतियान में परती आम है।

(5) विपक्षी द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि उक्त प्लॉट में तीन व्यक्ति है तो सिर्फ आवेदक को कब्जा क्यों दिलायी जाये। इस संबंध में कहना है कि तीनों व्यक्ति आवेदक के परिवार के ही है और आवेदक अपने परिवार के कर्ता है। अन्य दो व्यक्ति, राजेन्द्र मिस्त्री पिता शिववचन सिह ने शपथ पत्र के माध्यम से वाद लाने एवं मुकदमा संबंधी उचित निर्णय लेने हेतु आवेदक को प्राधिकृत किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि का नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी संख्या 04 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) नक्शानुसार विवादित भूमि का स्थल पर रकवा मात्र 1 एकड़ 15 डी० है जो अंचल के नापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

(2) कुल 1 एकड़ 15 डी० भूमि भी अकेले वादी की नहीं है बल्कि भूमि पर तीन व्यक्ति दखल काबिज है जिनका नाम शिव वचन महतो, उमेश विश्वकर्मा तथा राजेन्द्र मिस्त्री जो वादी के चचरे भाई है, काबिज है। इस तरह वाद आवश्यक पक्षकार से ग्रसित है तथा खारिज होने योग्य है।

(3) शिववचन महतो प्रश्नगत् भूमि में ही वादी के पूर्वज से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी, लगभग 3 कट्ठा प्राप्त किये हुए है तथा उस पर वे शांतिपूर्वक दखल काबिज है।

(4) जहॉ तक प्रतिवादी के भूमि की बात है तो खाता नं० 437 प्लॉट नं० 1372 रकवा 23 डी० प्रतिवादी अरविन्द शर्मा वगैरह के पिता स्व० रामदेव सिंह को दिनांक 14.05.69 को केवाला से प्राप्त है और खाता नं० 672 प्लॉट नं० 1371 रकवा $7\frac{1}{2}$ डी० भूमि भी स्व० रामदेव सिंह ने दिनांक 16.02.70 को क्रय किया था जिसका राजस्व रसीद भी स्व० रामदेव सिंह के नाम से कट रही है।

(5) वादीगण के तरफ से कोई परती भूमि नही है बल्कि पक्का चहारदीवारी निर्मित है जो अंचल अमीन करपी के एवं पुलिस अधिकारी करपी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा भूतपूर्व जमींदार से बंदोबस्ती के आधार पर किया है जिसका रिटर्न आवेदक के दादा नरसिंह बड़ही वल्द झौरी बड़ही वो राजदेव बड़ही वो रामचंद्र बड़ही वल्द झौरी बडही के नाम से है और क्षतिपूर्ति वाद संख्या 42911/54–55 है और राजस्व रसीद भी आवेदक के पिता और अब आवेदक के नाम निर्गत है। विपक्षी द्वारा विवादित जमीन के निश्वत् किसी भी प्रकार कागजात न्यायालय में दाखिल नही किया गया है। आवेदक के अन्य पट्टीदार राजेन्द्र मिस्त्री पिता स्व० शिवपूजन मिस्त्री वो दिलीप कुमार पिता शिववचन सिंह ने शपथ पत्र के माध्यम से वाद लाने हेतु आवेदक को प्राधिकृत किया है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक उमेश विश्वकर्मा वगैरह की भूमि श्री अरविन्द सिंह वगैरह द्वारा $4\frac{1}{4}$ डी० भूमि अतिक्रमित कर ईट का पक्का दीवाल बना लिया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के आवेदन को स्वीकार किया जाता है। अंचल अधिकारी करपी को निदेश दिया जाता है कि वे एक माह के बाद विवादित भूमि का नापी कराकर आवेदक को कब्जा सौपे। विपक्षी अगर निर्णय से संतुष्ट नही है तो वे आयुक्त मगध प्रमंडल गया के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी करपी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

17.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

17.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।